



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1948 (श10)

(सं० पटना 1132) पटना वृहस्पतिवार 17 सितम्बर 2026

सं० 1/PMC/विधि/252/2026—803

जल संसाधन विभाग

संकल्प

17 सितम्बर 2026

विषय :- बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026

जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य में अनियमित वर्षा तथा औसत वर्षापात में कमी परिलक्षित हो रही है। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, कृषि पर दबाव, नगरीकरण, औद्योगीकरण, इत्यादि कारणों से जल की मांग निरंतर बढ़ रही है। राज्य अंतर्गत नदियों, बराजों, जलाशयों, इत्यादि जलस्रोतों में समय के साथ भारी गाद जमा होने के कारण उनकी जल वहन क्षमता एवं जल धारण क्षमता में क्रमिक ह्रास हो रहा है, जिससे इनकी सिंचाई क्षमता में कमी आ रही है तथा बाढ़ जोखिम एवं बाढ़ आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप, सतही जल के साथ-साथ भू-जल पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में मानव जीवन एवं विकास की निरंतरता बनाये रखने के लिये जल-सुरक्षा एवं जल-प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने “विकसित भारत-2047” के दृष्टिगत 19 मई, 2026 को “स्टेट वाटर रिफार्म फ्रेमवर्क” लागू किया है। इसके तहत राज्यों के द्वारा तकनीकी, नीतिगत एवं प्रशासनिक तैयारियों को दिसम्बर, 2026 तक पूरा किया जाना है। इसके अंतर्गत परम्परागत जलस्रोतों का पुनर्स्थापन, गाद प्रबंधन एवं समुचित रख-रखाव एक महत्वपूर्ण घटक है। अतएव राज्य अंतर्गत जलस्रोतों में जमी गाद की निकासी कर जल संरचनाओं की क्षमता पुनर्स्थापित करने तथा निष्कासित गाद का प्रबंधन करने के लिये “बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026” संकल्पित है।

राज्य में आधारभूत ढाँचे के विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, राज्य सरकार के अधीन सड़कें, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, भवन निर्माण कार्य आदि परियोजनाओं में भराई के लिये बड़े पैमाने पर मिट्टी की आवश्यकता होती है। वर्तमान व्यवस्था में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर मिट्टी भराई कार्य किया जाता है। इसमें काफी कठिनाई होती है और इस क्रम में उपजाऊ मृदा का भी उपयोग कर लिया जाता है। वर्तमान नीति के तहत इन परियोजनाओं में आवश्यक मिट्टी भराई एवं निर्माण कार्य हेतु नदियों, नहरों, जलाशयों, इत्यादि की गाद का उपयोग किया जा सकेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक नीति निम्नवत् रूप से अधिसूचित की जाती है :-

2. राज्य की जल प्रबंधन संरचनायें एवं तलछट तत्त्व :-

- “जलाशय” का अभिप्राय राज्य अंतर्गत सभी डैम/वीयर/बराज एवं अन्य जल संचयन संरचनाओं आदि से है।
- “नदियों” का अभिप्राय राज्य के अंतर्गत सभी नदियों एवं धारों आदि से है।
- “नहरों” का अभिप्राय राज्य अंतर्गत सभी नहर प्रणालियों, पर्जन आदि से है।

- (iv) “चौर” का अभिप्राय राज्य अंतर्गत सभी चौरों आदि से है। चौर ऐसी प्राकृतिक बनावट अथवा निम्न भूमि (Low land) होती है, जहाँ वर्षा का जल पूरे वर्ष या वर्ष के अधिकांश महीने जमा रहता है।
- (v) “गाद (Silt)” का अभिप्राय नदी, नहर, जलाशय, चौर आदि में जमा होने या बारीक मिट्टी से है, जिसका उपयोग कटाव निरोधक कार्य में बोरा भराई, सड़क निर्माण, तटबंध निर्माण, भवन निर्माण हेतु प्लिथ की भराई, परिसर का तल ऊँचा करने हेतु भराई जैसे कार्यों में किया जा सकता है। संरचना निर्माण के अन्य कार्यों के लिये यह उपयुक्त नहीं होता है।
- (vi) “बालू” का अभिप्राय नदी, जलाशय आदि की वैसे तलछट से है, जिसका कण 0.075 मि०मी० से बड़ा होता है तथा यह निर्माण कार्यों के लिये भी उपयुक्त होता है।

3. विगत कुछ वर्षों में राज्य के प्रमुख जलाशयों के जल संचयन क्षमता में गाद के कारण निम्नांकित कमी परिलक्षित हुयी है :-

क्र०	जलाशय	सकल भंडारण क्षमता		ह्रासित क्षमता (MCM में)	प्रतिशत ह्रासित क्षमता	सिल्टेशन का दर (MCM प्रति वर्ष)
		वर्ष	FRL पर क्षमता (MCM में)			
1	अपर किउल जलाशय	2004	98.103	27.901	28.44%	1.395
		2024	70.202			
2	दुर्गावती जलाशय	2015	287.70	16.854	5.86%	1.87
		2024	270.846			
3	कोहिरा जलाशय	1962	28.33	11.653	41.13%	0.188
		2024	16.677			
4	बदुआ जलाशय	1965	128.34	15.408	12.01%	0.261
		2024	112.932			
5	चांदन जलाशय	1967	157.23	101.01	64.24%	2.10
		2015	56.22			

- इन्द्रपुरी बराज में 22 कि०मी० ऊपर तक अनुमानित सिल्टेशन की दर 3.42 MCM प्रतिवर्ष है, जो राज्य के लिये तत्काल चेतावनी है।
- राज्य में कुल 29 डैम/जलाशय, 15 बराज तथा 134 वीयर है। इसके अतिरिक्त GIS आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल 774 नदियाँ हैं, जिनमें से 285 नदियों का सर्वेक्षण कर लिया गया है। यह सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

4. गाद की मात्रा का प्रारंभिक आकलन:-आवश्यकतानुसार नवम्बर माह में जलस्रोत (नदी, नहर, जलाशय, इत्यादि) के प्रभारी कार्यपालक अभियंता द्वारा सर्वेक्षण कर उनके परिक्षेत्राधीन निकासी किये जाने योग्य गाद की मात्रा का आकलन एवं जलस्रोत का लोकेशन चिन्हित कर संबंधित मुख्य अभियंता के माध्यम से संबंधित मोनटरिंग अंचल को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. गाद की मात्रा एवं निकासी प्रक्रिया का अनुमोदन :-

- (i) क्षेत्रीय स्तर से गाद निकासी हेतु प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा निमित्त जल संसाधन विभाग अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर एक तकनीकी सलाहकार समिति [Technical Advising Committee (TAC)] का गठन निम्नवत् किया जायेगा :-

1	अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)	:	अध्यक्ष
2	मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना	:	सदस्य
3	संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	:	सदस्य
4	अधीक्षक अभियंता, योजना एवं मोनटरिंग अंचल-2/3/ बाढ़ नियंत्रण	:	सदस्य सचिव
5	निदेशक, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, पटना	:	सदस्य

उपर्युक्त समिति द्वारा निकाले जाने योग्य गाद की मात्रा निर्धारित किया जायेगा। साथ ही यह भी तय किया जायेगा कि प्रस्तावित मात्रा Excavator, Poclain इत्यादि के माध्यम से निकासी योग्य है अथवा ड्रेजिंग विधि से डिसिल्टेशन कराया जाना आवश्यक है।

- (ii) जिन जलस्रोतों से ड्रेजिंग विधि से गाद निकासी की जानी है, उसमें गाद की मात्रा के आकलन के लिये विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता होगी।
- (iii) चिन्हित बराज/वीयर/नदियों/जलाशयों में डिसिल्टेशन कार्य करते समय, संवेदक को भारत सरकार द्वारा जारी “National Framework for Sediment Management 2022” में उल्लिखित निर्देशों तथा अन्य सभी लागू मानकों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
- (iv) चिन्हित बराज/वीयर/नदियों/जलाशयों के जल भंडारण क्षमता के पुनर्स्थापन हेतु इनके डूब क्षेत्र में ड्रेजिंग के माध्यम से डिसिल्टेशन कार्य कराने निमित्त जल संसाधन विभाग को किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. गाद की मात्रा के आकलन हेतु विस्तृत सर्वेक्षण:—बारहमासी जलस्रोतों में जमा सिल्ट/गाद की मात्रा के आकलन हेतु Integrated Bathymetric Survey एवं अन्य तकनीकी प्रणालियों का उपयोग किया जायेगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार एजेंसी चयन हेतु नियमानुकूल अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

7. गाद की प्रकृति का निर्धारण:—चिन्हित जलस्रोतों से निकाले जाने वाला जमाव गाद है अथवा बालू, इसका निर्धारण जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में जिला खनन पदाधिकारी तथा संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जायेगा।

8. गाद/बालू निकासी की प्रक्रिया:—TAC द्वारा अनुमोदित गाद/बालू की मात्रा निकासी हेतु अनुमोदन के उपरांत निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी :-

(i) मौसमी जलस्रोत

- वैसे मौसमी नदियाँ एवं जलस्रोत, जिनमें मॉनसून अवधि में अत्यधिक जलश्राव रहता है, परन्तु साल के बाकी समय यह सूखे रहते हैं, उनके डूब क्षेत्र (जल बहाव चौड़ाई) के मध्य एक-तिहाई भाग (1/3rd) से सूखी खुदाई कर गाद की निकासी की जायेगी।
- गाद निकासी हेतु खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित शर्तों के तहत योग्य संवेदक का चयन किया जायेगा।
- निकाले गये गाद का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान करना संवेदक की जिम्मेदारी होगी।
- संवेदक द्वारा गाद का निपटान, गाद का उपयोग करने वाले विभागों, संस्थाओं, संवेदकों, व्यक्तियों इत्यादि को उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।
- गाद की मात्रा उपलब्ध कराने के क्रम में गाद निकासी एवं निपटान प्रक्रिया में किये जा रहे व्यय की भरपाई के रूप में गाद उपयोगकर्ता विभागों, संस्थाओं, संवेदकों, व्यक्तियों इत्यादि से संवेदक द्वारा बाजार दर पर राशि ली जा सकेगी।
- संवेदक द्वारा गाद उपयोगकर्ता से जो राशि प्राप्त की जायेगी, उसमें से प्रति ईकाई गाद की मात्रा के आधार पर निर्धारित राशि जल संसाधन विभाग को “जलस्रोत अनुरक्षण अंशदान” के रूप में देनी होगी।
- जलस्रोत अनुरक्षण अंशदान के रूप में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि के ऊपर अधिकतम दर देने वाले संवेदक का चयन किया जायेगा।
- एकरारनामा की अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष तक की होगी, जो जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- खान एवं भूतत्व विभाग को नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान सहित सरकार को देय सभी कर/शुल्क का भुगतान संवेदक द्वारा किया जायेगा।

(ii) बारहमासी (Perennial) जलस्रोत

- वैसे बारहमासी (Perennial) नदियाँ या जलस्रोत, जिनमें वर्ष पर्यन्त पानी रहता है, उनके डूब क्षेत्र में ड्रेजिंग के माध्यम से गाद की निकासी के लिये खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित शर्तों के तहत योग्य संवेदक का चयन किया जायेगा।
- विभाग द्वारा चिन्हित भाग से गाद की निकासी संवेदक द्वारा की जायेगी।
- निकाले गये गाद का पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निपटान करना संवेदक की जिम्मेदारी होगी।
- गाद का निपटान संवेदक द्वारा गाद का उपयोग करने वाले विभागों, संस्थाओं, संवेदकों, व्यक्तियों इत्यादि को उपलब्ध कराकर किया जा सकता है।

- यदि गाद की निकासी पर होने वाला व्यय, गाद की मात्रा अन्य विभागों, संस्थाओं, संवेदकों, व्यक्तियों इत्यादि को उपलब्ध कराने के क्रम में संवेदक को प्राप्त हो रही राशि से अधिक हो, तो गाद निकासी एवं निपटान प्रक्रिया में होने वाले अतिरिक्त व्यय की भरपाई जल संसाधन विभाग द्वारा जलस्रोत अनुरक्षण व्यय के रूप में किया जायेगा।
- जलस्रोत अनुरक्षण व्यय के रूप में न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले संवेदक का चयन किया जायेगा।
- एकरारनामा की अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष तक की होगी, जो जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- खान एवं भूतत्व विभाग को नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान सहित सरकार को देय सभी कर/शुल्क का भुगतान संवेदक द्वारा किया जायेगा।

(iii) जलाशय/बराज से गाद निकासी

- जलाशय, बराज, वीयर, इत्यादि वैसे जलस्रोत जिनके डूब क्षेत्र में खनन/ड्रेजिंग के माध्यम से गाद की निकासी की जानी है, के लिये Turn-Key आधार पर खुली निविदा के माध्यम से निर्धारित शर्तों के तहत योग्य संवेदक का चयन किया जायेगा।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से बालू-मिश्रित गाद वाले जलस्रोतों में गाद की निकासी की जा सकती है।
- गाद का निपटान संवेदक द्वारा गाद/बालू का उपयोग करने वाले विभागों, संस्थाओं, संवेदकों, व्यक्तियों इत्यादि को उपलब्ध कराकर किया जा सकता है। गाद की मात्रा उपलब्ध कराने के क्रम में गाद निकासी एवं निपटान प्रक्रिया में संवेदक द्वारा किये जा रहे व्यय की भरपाई के रूप में बाजार दर पर राशि ली जा सकेगी।
- संवेदक द्वारा गाद उपयोगकर्ता से जो राशि प्राप्त की जायेगी, उसमें से प्रति ईकाई गाद की मात्रा के आधार पर निर्धारित राशि जल संसाधन विभाग को "जलस्रोत अनुरक्षण अंशदान" के रूप में देनी होगी।
- जलस्रोत अनुरक्षण अंशदान के रूप में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि के ऊपर अधिकतम दर देने वाले संवेदक का चयन किया जायेगा।
- ऐसे कार्य के लिये योग्य, अनुभवी एवं यांत्रिक संसाधनों से सक्षम संवेदक की आवश्यकता होगी, इसलिये एकरारनामा की अवधि 10 वर्ष से 15 वर्ष तक की होगी, जो जल संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- खान एवं भूतत्व विभाग को नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान सहित सरकार को देय सभी कर/शुल्क का भुगतान संवेदक द्वारा किया जायेगा।

9. जल संसाधन विभाग द्वारा सरकारी विभागों/एजेंसियों को सरकारी परियोजनाओं में जलस्रोतों की गाद के उपयोग हेतु बिना किसी निविदा/कोटेशन के सीधे अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रयोजन हेतु खान एवं भूतत्व विभाग को देय रॉयल्टी की राशि तथा जल संसाधन विभाग को देय जलस्रोत अनुरक्षण अंशदान की राशि सहित सरकार को देय सभी कर/शुल्क का भुगतान प्रयोक्ता विभाग/एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

10. वैसी रैखिक परियोजनायें (Linear Projects), जैसे कि स्लरी पाईपलाईन, तेल एवं गैस परिवहन पाईपलाईन, राजमार्ग या रेलवे लाइनों को बिछाने का कार्य, जिनके लिये 20,000 घनमीटर की सीमा से अधिक साधारण मिट्टी/गाद के निष्कर्षण (Extraction) या स्रोत निर्धारण (Sourcing) या खनन (Borrowing) की अपेक्षा होती है, उनके लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना संख्या 1210 दिनांक 17.03.2025 तथा कार्यालय मेमो संख्या IA3-22/5/2024-IA.III[E-242280] दिनांक 18.03.2025 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत है।

कंडिका-8 में वर्णित प्रक्रियाओं के तहत निकाली गयी गाद के निस्तारण हेतु अन्य सभी विकल्पों के अतिरिक्त एकरेखीय परियोजनाओं हेतु साधारण मिट्टी के उपयोग के लिये वर्णित दिशा-निर्देश के आलोक में कार्रवाई की जायेगी। उक्त प्रयोजन हेतु वर्णित दिशा-निर्देश में किसी विशेष परियोजना हेतु साधारण मिट्टी की मात्रा के निष्कर्षण (Extraction) या स्रोत निर्धारण (Sourcing) या खनन (Borrowing) पर निर्णय लेने के लिये निम्नरूपेण समिति गठित है :-

1	जिला पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि	:	अध्यक्ष
2	जिला वन पदाधिकारी अथवा नामित व्यक्ति	:	सदस्य
3	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक अधिकारी	:	सदस्य
4	जिला खनन पदाधिकारी या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या भू-विज्ञानी	:	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में अधिवाची विभाग के प्रतिनिधि एवं स्रोत स्वामित्व विभाग के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। वर्णित दिशा-निर्देश में प्रावधानित अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।

11. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार की रैखिक परियोजनाओं के लिये आवश्यकतानुसार (Case-to-Case Basis) जल संसाधन विभाग को देय जलस्रोत अनुसूक्षण अंशदान से छूट दी जायेगी। साथ ही उक्त परियोजनाओं हेतु Case-to-Case Basis पर देय रॉयल्टी में छूट निमित्त खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। इस प्रयोजन हेतु कंडिका-10 में गठित समिति द्वारा अनुशंसा के उपरांत बराज/नदियों/जलाशयों में सिल्ट/गाद की निकासी हेतु National Framework for Sediment Management 2022 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

12. जल संसाधन विभाग द्वारा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की सेवाएँ प्राप्त की जा सकेगी अथवा आवश्यकतानुसार अन्य संरचनात्मक व्यवस्था की जा सकेगी।

13. स्रोत स्वामित्व विभाग द्वारा गाद उपलब्धता तथा अन्य विभागों द्वारा गाद के उपयोग हेतु समर्पित किये जाने वाली अधियाचना का प्रपत्र क्रमशः परिशिष्ट-2 एवं 3 के रूप में प्रस्तुत नीति के साथ संलग्न है।

14. जल संसाधन विभाग द्वारा अपनी योजनाओं/कार्यों में सिल्ट/गाद का उपयोग करने हेतु किसी अन्य विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु जल संसाधन विभाग द्वारा उपयोग किये गये सिल्ट/गाद का नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान खान एवं भूतत्व विभाग को किया जायेगा।

15. विभाग एवं संवेदक के बीच एकरारनामा संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर, उसका निदान Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal, Patna के माध्यम से किया जायेगा।

16. विभाग एवं संवेदक के बीच वैधानिक विवाद का समाधान आपसी सहमति से किया जायेगा, जिसमें असफल होने पर मामले का न्यायिक क्षेत्राधिकार बिहार राज्य होगा।

17. इस नीति के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश का गठन जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा। नीति में परिमार्जन तथा योजना को सफल बनाने निमित्त शर्तों के गठन एवं आवश्यक संशोधन हेतु जल संसाधन विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

18. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 15.09.2026 की बैठक में मद संख्या-06 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रशेखर सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1132-571+500-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>